PAGE 1 OF 2	अभियोजन साक्षी संख्याः 13

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-06 जनपद – कानपुर देहात।		
सत्र वाद संख्या- 2373/2023		
राज्य	**बनाम**	सूरज शुक्ला

नाम साक्षीः महेश कुमार पुत्र श्री शिवदत्त द्विवेदी	अपराध संख्या-90/2023
उम्रः लगभग 47 वर्ष, पेशाः कृषि	धारा- 302, 201, 120B भा0 द 0 वि0
वर्तमान पता साक्षीः ग्राम मुंगिसापुर, थाना-डेरापुर, कानपुर देहात	थाना-सिकन्दरा, कानपुर नगर।

दिनांकः-01.01.2026
प्रतिपरीक्षा दिनांक 17.12.2025 से आगे

प्रतिपरीक्षा द्वारा अभियुक्त सूरज शुक्ला

मैं **साक्षीः महेश कुमार पुत्र श्री शिवदत्त द्विवेदी, उम्रः लगभग 47 वर्ष, पेशाः कृषि, वर्तमान पता साक्षीः ग्राममुंगिसापुर, थाना-डेरापुर, कानपुर देहात** शपथपूर्वक यह बयान करता हूँ कि...

1. मैं जिस मोटरसाइकिल से अपने साढू के घर किशरवल गया उस मोटरसाइकिल का नम्बर UP 77 AF 6081 है। यह गाड़ी मेरे नाम है। यह गाड़ी हीरो कम्पनी की है।

2. मैं ग्राम किशरवल से लौटकर नबीपुर गया था। नबीपुर में मैं 10-15 मिनट रूककर खेतों के विषय में बातचीत की थी। मैं नबीपुर शाम को पहुंचा था। समय मुझे याद नहीं है। उजाला था। मैं अकेले राकेश तिवारी से बात कर रहा था।

3. दरोगा जी ने घटना के लगभग 4 माह बाद मेरा बयान लिया था। मैं खुद थाने बयान देने गया था। सूचना आयी थी तब मैं गया था। दरोगा जी ने मुझे पूछताछ के लिए सूचना दी थी। मैं लगभग दोपहर को गया था समय याद नहीं है। थाने पर लगभग 10-15 मिनट में मुझसे पूछताछ हो गयी और फिर मैं चला आया। मैं थाने अकेले गया था।

4. थाना सिकन्दरा मेरे गांव से लगभग 15 किलोमीटर दूर है।

5. मैं नितेश की मृत्यु के दो चार दिन बाद उसके घर गया था। मेरी नितेश के पिता जी से नितेश की मृत्यु के सम्बन्ध में बात हुई थी। मैं नितेश व उनके पिता इन्द्रकुमार को 10-12 वर्षों से जानता हूं। इन्द्रकुमार गल्ले का काम करते हैं और मैं खेती करता हूं। इसलिए मैं इनका गल्ला बेचता था। हमारा लेन देन होता रहता था तथा इस सम्बन्ध में मैं अक्सर उनके घर आया जाया करता हूं।

6. मेरे पास मुंगीसापुर में कोई खेती नहीं है। बलकट पर खेती लेकर लगाता हूं। मेरे पास मेरे गांव औडेरी में खेती है। वहीं का मैं रहने वाला हूं। वर्तमान में मैं मुंगीसापुर में रह रहा हूं। औड़ेरी गांव से नितेश का गांव लगभग 6 किलोमीटर दूर है।

7. मैं नितेश की मृत्यु के बाद उसके घर दो चार बार गया हूं। कितने अन्तराल के बाद गया हूं यह मुझे नहीं मालूम।

8. यह कहना गलत है कि मैं इन्द्रकुमार के दबाव में आकर झूठी गवाही दे रहा हूं।

9. यह बात सही है कि मैंने मृतक को जान से मारते नहीं देखा।

10. यह बात सही है कि नितेश के साथ जहां मारपीट हो रही थी तो वहां पर मैं अकेला था। मैं नितेश के मारपीट वाली जगह पर एक आध मिनट रूका था।

11. यह कहना गलत है कि मैंने कोई घटना नहीं देखी और झूठी गवाही दे रहा हूं।

मेरे बोलने पर आज यह बयान
रीडर द्वारा टंकित किया गया। सुनकर तस्दीक किया।

h.p.